



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 पौष 1944 (श10)
(सं0 पटना 1110) पटना, शुक्रवार, 30 दिसम्बर, 2022

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

30 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना संख्या 12/2022-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 489, दिनांक 30 दिसम्बर, 2022—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम - 12, 2017) की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 544, दिनांक 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,-

क. अनुसूची I में- 2.5%, -

(i) क्रमांक 102क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“एथाइल अल्कोहल, जो की मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के साथ मिलाने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों या पेट्रोलियम रिफाइनरियों को आपूर्ति किया गया हो”;

(ii) क्रमांक 103(अ) के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“चोकर, तीक्ष्ण और अन्य अपशष्ट चाहे वह गुटिका के रूप में हों या नहीं धान्य के या फलीदार पौधों के, पेषण या अन्य कार्य से व्युत्पन्न हो [जलीय फ़ीड समेत झींगा फ़ीड और

झींगा फीड, पोल्ट्री फीड और पशु फीड सहित घास, घास और पुआल, पूरक और योजक, चिल्का सहित दालों की भूसी, चुन्नी या चूरी, खंडा सहित सांद्र, गेहूं की भूसी, डी-ऑइल केक से भिन्न]”;

ख. अनुसूची II में - 6%, -

(i) क्रमांक 48 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“फलों के पल्प या फलों के रस आधारित पेय [फल रस का कार्बोनेटेड बिबरेज या फल रस युक्त कार्बोनेटेड बिबरेज के अलावा]”;

(ii) क्रमांक 180 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“मैथमेटिकल बॉक्सेस, ज्योमेट्री बॉक्सेस और कलर बॉक्सेस”;

ग. अनुसूची III में -9%, क्रमांक 25 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“किसी भी सांद्रता के एथाइल अल्कोहल और अन्य स्परिट्स, डिनेचर्ड, [एथाइल अल्कोहल, जो की मोटर स्परिट (पेट्रोल) के साथ मिलाने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों या पेट्रोलियम रिफाइनरियों को आपूर्ति किया गया हो से भिन्न]”;

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2023 से लागू होगी।

[(सं० सं० विक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-14)-12)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

30 दिसम्बर, 2022

एस० ओ० 489, दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० सं० विक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-14)-12)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 30th December, 2022

Notification No. 12/2022– State Tax (Rate)

S.O. 489, Dated The 30th December, 2022—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 544, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in Schedule I – 2.5%, -

(i) against S. No. 102A, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

“Ethyl alcohol supplied to Oil Marketing Companies or Petroleum refineries for blending with motor spirit (petrol)”;

- (ii) against S. No. 103A, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -
 “Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants [other than aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed and cattle feed, including grass, hay and straw, supplement and additives, husk of pulses including chilka, concentrates including chuni or churi, khanda, wheat bran, de-oiled cake]”;
- (B) in Schedule II – 6%, -
 (iii) against S. No.48, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -
 “Fruit pulp or fruit juice based drinks [other than Carbonated Beverages of Fruit Drink or Carbonated Beverages with Fruit Juice]”;
- (iv) against S. No.180, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -
 “Mathematical boxes, geometry boxes and colour boxes”;
- (C) in Schedule III – 9%, against S. No.25, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -
 “Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength [other than ethyl alcohol supplied to Oil Marketing Companies or Petroleum refineries for blending with motor spirit (petrol)]”.
2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2023.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-14)-12)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1110-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>